

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2020/00175 (Bank Case)

Manual no- 60/2020

पीएनबी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, कम्पनी जिसका पंजिकृत कार्यालय 9वीं मजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तुरबा गॉधी मार्ग, न्यू दिल्ली में स्थित है एवं एक शाखा कार्यालय प्लॉट नम्बर एसबी-59, यूडीबी टॉवर, प्रथम मंजिल, नगर निगम ऑफिस के सामने, टोंक रोड़, जयपुर में स्थित है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अश्वनी कुमार शर्मा

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री विनीत रोचानी

पता– प्लाट नंबर 198–ए, उत्तम नगर, देवली अरब, कोटा राज.।
(ऋणी व बंधनकर्ता)

2. श्रीमती पूजा देवी

पता– प्लाट नंबर 198–ए, उत्तम नगर, देवली अरब, कोटा, राज.।
(ऋणी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेंशियल एसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 14-10-2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पीएनबी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, कम्पनी जिसका पंजिकृत कार्यालय 9वीं मजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तुरबा गॉधी मार्ग, न्यू दिल्ली में स्थित है एवं एक शाखा कार्यालय प्लॉट नम्बर एसबी-59, यूडीबी टॉवर, प्रथम मंजिल, नगर निगम ऑफिस के सामने, टोंक रोड़, जयपुर में स्थित है से अप्रार्थी/ऋणी ने केश क्रेडिट लिमिट लोन खाते में रु. 15,85,000 (अक्षरे: रूपये पन्द्रह लाख पिच्चयासी हजार मात्र ।) ऋण राशि दिनांक 22.08.2017 को लिया था । अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री विनीत रोचानी पुत्र श्री वीरूमल की सम्पत्ति जो कि प्लाट नं. 198–ए, उत्तम नगर, देवली अरब, तह. लाडपुरा, जिला–कोटा राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 66.66 वर्ग फीट है सीमाएं पूर्व में–भूखण्ड संख्या 223, पश्चिम में– 20 फुट चौडा रोड, उत्तर में– भूखण्ड सं. 197 व 198, दक्षिण में– 199–बी, है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.11.2016 से अप्रार्थी श्री विनीत रोचानी के नाम दर्ज है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 13.01.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 15,98,719.82/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख अठयानवे हजार सात सौ उन्नीस रूपये एवं बयासी पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.01.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के

लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र चम्बल संदेश व अंग्रेजी अखबार Times of India में दिनांक 19.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र चम्बल संदेश व अंग्रेजी अखबार Times of India में दिनांक 19.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री विनीत रोचानी पुत्र श्री वीरूमल की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 198-ए, उत्तम नगर, देवली अरब, तह. लाडपुरा, जिला-कोटा राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 66.66 वर्ग फीट है, सीमाएं पूर्व में-भूखण्ड संख्या 223, पश्चिम में-20 फुट चौड़ा रोड, उत्तर में- भूखण्ड सं. 197 व 198, दक्षिण में- 199-बी है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.11.2016 से अप्रार्थी श्री विनीत रोचानी के नाम दर्ज है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14-10-2020 को सुनाया गया ।

24/10/20
(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा